Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 2010
(BHADRA 13, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th September, 2010

No. 27—HLA of 2010/58.—The Haryana Service of Engineer, Group A, Irrigation Department Bill, 2010 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 27—HLA of 2010

THE HARYANA SERVICE OF ENGINEERS, GROUP A, IRRIGATION DEPARTMENT BILL, 2010

A

BILL

to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title, commencement and application.

1. (1) This Act may be called the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1966.

(3) It shall apply to the persons who are members of the Service but shall not include the persons who were appointed before the 1st day of November, 1966.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) "appointment to the Service" means an appointment made to a cadre post in Service and includes an appointment, made according to the terms and provisions of this Act, to an officiating vacancy of a cadre post in Service;

(b) "Appendix" means Appendix annexed to this Act;

(c) "cadre post" means a permanent post in the Service;

(d) "Chief Engineer" means a Chief Engineer of the Department and includes a post declared by the Government as equivalent;

(e) "Commission" means the Haryana Public Service Commission or any other authority notified by the Government;

(f) "competent authority" means such officer or authority, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint to perform the functions of a competent authority under this Act;

(g) "Department" means the Irrigation Department;

(h) "Engineer-in-Chief" means an Engineer-in-Chief of the Department and includes a post declared by the Government as equivalent;

(i) "ex-cadre post" means a temporary post not included in the Service, appointment on which confers no right to seniority;

(j) "Executive Engineer" means an officer-in-charge of a Division and includes a post declared by the Government as equivalent;

(k) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(l) "Group B Service" means the Haryana Service of Engineers, Group B, in Irrigation Department;

(m) "member of the Service" means an officer appointed substantively to a cadre post and includes,--

(i) in the case of an appointment by promotion, an officer on probation or such an officer who, having successfully completed his probation, awaits appointment to a cadre post;

(ii) in the case of an appointment by transfer, an officer on probation or such an officer who, having successfully completed his probation, awaits appointment to a cadre post, provided such officer does not have a lien on a substantive post in any Government Department.

Explanation.—It is not necessary that a member of the Service shall at any given time be ordinarily doing the work of a cadre post. He may be working on an ex-cadre post for reasons of administrative convenience or while officiating against an ex-cadre post will be deemed to be performing the duties of a cadre post;

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(o) "Service" means the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department comprising separate cadres of Civil, Mechanical, Computer and Electrical;

(p) "Superintending Engineer" means an officer-in-charge of a Circle and includes a post declared by the Government as equivalent;

(q) "university" means—

(i) any university incorporated by law in India;

(ii) in the case of degrees or diplomas obtained as a result of examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; and

(iii) any other university, which is declared by the Government to be a recognized or deemed university for the purposes of this Act.

Cadre and its strength.

3. (1) There shall be separate cadres of Service, namely, Civil, Mechanical, Computer and Electrical comprising various posts as may be determined separately for each cadre on the 1st day of January each year or as soon thereafter, as may be practicable according to the provisions of Appendix A. The strength of the respective cadres so determined shall remain in force till it is revised by the Government.

(2) The officers of Civil, Mechanical, Computer and Electrical cadres shall be promoted or appointed only against the respective post in their cadre.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may appoint a member of the Service to an ex-cadre post not included in the Service in accordance with the provisions of this Act, provided such post has been sanctioned.

Nationality and domicile candidates.

4. (1) No person shall be appointed to the Service unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Sikkim ; or

(c) a subject of Nepal ; or

(d) a subject, of Bhutan; or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to any of the categories (c), (d), (e) or (f) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the competent authority and if he belongs to category (f), the certificate of eligibility will be issued for a period of one year, after which such a candidate will be retained in Service subject to his having acquired Indian citizenship.

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission on his furnishing proof that he has applied for the certificate and he may also provisionally be appointed subject to the necessary eligibility certificate being given to him by the competent authority.

Recruitment to Service.

5. (1) Recruitment to the Service in the respective cadre shall be made by the Government by anyone or more of the following methods:—

(a) by promotion from Group B Service of the respective cadre; or

(b) by transfer of an officer already in the service of a State Government or the Central Government.

(2) In the case of persons who were members of the Service as on 1st day of November, 1966, it shall be assumed that the member promoted as Executive Engineer from Group B Service is in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) and future promotion shall be based upon this assumption.

Qualifications.

6. No person shall be promoted on or after the date of publication of this Act in the Official Gazette, unless he,—

(a) possesses one of the degrees as a regular full time student from a university; or possesses degree of the Associate Membership Examination of the Institution of the Engineers (India); and

(b) has rendered eight years service as Sub-Divisional Officer (Group B Service) and passed the departmental examination of Group B Service:

Provided that the Government may relax the condition of eight years service in the case of an officer who has completed five years service;

(c) has not more than one wife living or, in the case of a women, is not married to a person already having a wife living:

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this condition.

Appointment by promotion.

7. (1) A Committee comprising such members, as may be notified by the Government, shall be constituted to prepare a list of officers suitable for promotion to the senior scale of the Service separately for Civil, Mechanical, Computer and Electrical cadre. The selection for inclusion in such list shall be based on seniority-cum-merit.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year and consider the cases of all eligible officers for promotion to the senior scale of the Service, as on the First day of January of that year.

(3) The names of the officers included in this list shall be arranged in order of inter-se seniority in Group B Service separately for Civil, Mechanical, Computer and Electrical cadre.

(4) The list so prepared shall be revised every year.

(5) If, in the process of preparing the list or its revision, it is proposed to supersede any eligible candidate, the Committee shall draw up a list of such officers and may record its reasons for the proposed supersession.

(6) The list prepared or revised in accordance with the provisions of sub-sections (1), (3), (4) and (5) shall be forwarded to the Commission by the Government along with--

(i) the records of all officers included in the list;

(ii) the records of all officers proposed to be superseded as a result of the recommendations made by the Committee;

(iii) the reasons, if any, recorded by the Committee for the proposed supersession of any officer; and

(iv) the observations, if any, of the Government on the recommendations of the Committee.

(7) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith other documents received from the Government and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(8) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, it shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the list finally with such modification, if any, as may, in its opinion, be just and proper.

(9) Appointment by promotion may be made to the Service or to any post in the cadre in an officiating capacity from the list prepared under this section.

(10) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before promotion under sub-section (9) is made, unless during the period intervening between the inclusion of the name of the officer in the list and the date of the proposed promotion, there occurs any deterioration in the work of the officer which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for promotion to the Service.

Promotion within Service.

8. (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), members of the Service of the respective cadre shall be eligible for promotion on the basis of degree required for initial appointment to any of the post within their respective cadres:

Provided that a member of Group B service who does not possess one of the degrees of a university or other qualifications as specified in section 6, shall not be eligible for promotion to the post of Executive Engineer till he has acquired the requisite qualifications:

Provided further that promotion to the post of Engineer-in-Chief shall be made from amongst the members of the Civil cadre only:

Provided further that in case of Mechanical, Computer and Electrical cadre, an Executive Engineer having an experience of seven years, may be given the pay scale of the post of Superintending Engineer as personal measure while continuing to discharge the duties of Executive Engineer if an Executive Engineer of Civil cadre having equivalent length of Service as Executive Engineer has been promoted as Superintending Engineer:

Provided further that in the case of Mechanical, Computer and Electrical cadre, a Superintending Engineer having an experience of three years, may be given the pay scale of the post of Chief Engineer as a personal measure while continuing to discharge the duties of Superintending Engineer if an Superintending Engineer of Civil cadre having equivalent length of Service as Superintending Engineer has been promoted as Chief Engineer.

Explanation.—Once an officer has been appointed as member of the Service, his promotion within the Service from one rank to another shall be regarded as promotion within the same cadre.

(2) Promotion shall be made by selection on the basis of seniority-cum-merit and suitability in all respects and a member of the Service shall not have any claim to such promotion as a matter of right or mere seniority.

(3) A member of the Service shall not be eligible for promotion to the rank of—

(a) Superintending Engineer, unless he has rendered seven years Service as an Executive Engineer;

(b) Chief Engineer, unless he has rendered three years Service as Superintending Engineer;

(c) Engineer-in-Chief, unless he has rendered two years Service as Chief Engineer:

Provided that if, it appears to be necessary to promote an officer who has successfully completed his probation, in public interest, the Government may, for reasons to be recorded in writing, either generally for a specified period or in any individual case, reduce the period specified in clauses (a), (b) or (c) to such an extent, as it may deem proper.

9. The Government may, in special circumstances, with the approval of the Commission, appoint an officer to the Service by transfer. Appointment by transfer.

10. (1) The officer appointed to the Service shall remain on probation for a period of one year: Probation.

Provided that—

(a) any period after appointment to the Service spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation fixed under this section;

(b) in the case of an appointment by transfer, any period of work in the rank of Executive Engineer or above, prior to appointment to the Service may, at the discretion of the Government, be allowed to be counted towards the period of probation fixed under this section; and

(c) an officiating appointment in the Service shall be reckoned as a period spent on probation but no member of Service who has thus officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a cadre post.

(2) If the work or conduct of an officer appointed to the Service during the period of probation is, in the opinion of the Government, not satisfactory, it may—

(a) revert him from to his former post; or

(b) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(c) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of an officer, the Government may, if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(a) confirm such person in his appointment; or

(b) if no cadre post is vacant for him, declare that he has completed his probation satisfactorily.

Seniority.

11. (1) The seniority of the members of the Service shall be determined separately for the Civil, Mechanical, Computer and Electrical cadre.

(2) Executive Engineer promoted from Group B Service shall be senior to the Executive Engineer appointed by transfer.

(3) In the case of the Executive Engineers appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments; and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

(4) Where a member of the Service, for a cause which the Government considers to be sufficient, is unable to join the Service or continues with the Government's approval on deputation outside the Service, it shall be open to the Government to allow him credit for such service as if it was a Service rendered under this Act for the purposes of the fixation of his seniority.

Explanation.—All employment on deputation after a member has joined the Service and has had his seniority fixed under this Act, shall count as if it was employment in the Service and shall not in any way affect the seniority already fixed, except to the extent that such seniority would in any case have been affected, had the member of the Service continued to work in the Department.

Pay.

12. The members of the Service shall be entitled to such scales of pay including special pay, as may be notified in the Official Gazette by the Government.

Leave, pension and other matters.

13. The terms and conditions in respect of leave, pension and other cognate matters not expressly provided for this Act, shall be such, as may be prescribed.

Vaccination.

14. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by special or general order.

Discipline, penalty and appeal.

15. In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, as may be framed by the Government, from time to time.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Liability to serve.

17. (1) A member of the Service shall be liable to serve under the Government at any place whether within or outside the State of Haryana.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) Bhakra Beas Management Board, Upper Yamuna River Board or Central Water Commission or any other Board or Corporation, as may be notified by the Government;

(ii) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;

(iii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iv) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central Government or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (iii) and (iv) except with his consent.

(3) Every person appointed to the Service shall, if so required, serve in any defence service or post connected with the defence of India for a period not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service; and

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

Publication of grounds of dismissal

18. If a member of the Service is dismissed by the Government or other competent authority as a result of a departmental enquiry or an enquiry under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Act 37 of 1850) or on conviction on a criminal charge by a Court, the Government may publish in the Official Gazette, the reasons for such dismissal, if it is of the opinion that such publication is desirable in the public interest.

General.

19. In all matters not expressly provided for in this Act, the members of the Service shall be governed by such general or special rules as may have been, or may hereafter be, framed by Government, from time to time.

Power to relax.

20. Where the Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Act causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of that provision to such an extent, and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Reservations.

21. Nothing contained in this Act shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, persons with disabilities or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard.

Power to make rules.

22. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

Repeal and savings.

23. The Haryana Service of Engineers, Class 1, Public Works Department (Building and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively Act, 1995 (20 of 1995), in its application to the Irrigation Branch, now Irrigation Department, is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect—

(a) any penalty or punishment imposed as a result of disciplinary proceedings under the Act so repealed;

(b) any disciplinary action or proceedings initiated or pending under the Act so repealed;

(c) any relaxation in qualifications granted to any member of the Service under the Act so repealed;

(d) the benefits availed of by the persons who have retired from service during the period commencing from the 1st day of November, 1966 and ending with the date of publication of this Act in the Official Gazette;

(e) the qualifications of persons already recruited and of those for whom the process of recruitment has been initiated under the Act so repealed;

(f) the officers already promoted,

and the Punjab Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Irrigation Branch) Rules, 1964 shall continue to be in force as if the same had not been repealed for the persons who were members of the Service before the 1st day of November, 1966.

APPENDIX A

[See section 3(1)]

The cadre strength of the Service shall be determined each year for Civil, Mechanical, Computer and Electrical cadre separately in the following manner:—

The number of posts shall be calculated as under:—

(a) first add—

(1) permanent posts [three years and over posts, i.e. posts which have existed continuously for three years or more prior to the first day of January];

(2) notional posts to be determined as follow:—

(i) enumerate posts which have existed during the last three years, preceding the first day of January, detailing the number of months for which they have existed; all periods of 15 days or above counted as a whole month;

(ii) add the total number of months computed at (i) above;

(iii) divide (ii) by 36 to the nearest whole number to obtain the number of notional posts to be included;

(3) deputation posts [these shall be equivalent to the number of officers on deputation, whether in the State or outside, on the first day of January];

(b) to the total of items (1), (2) and (3) (to be called 'X'), further add seven and a half percent of 'X' as leave reserves (the total thus arrived to be called 'Y');

(c) the cadre strength shall, for the year in question be 'Y' minus fifteen per cent of 'Y' calculated to the nearest whole number. The balance of 'Y' minus cadre posts as calculated above shall represent ex-cadre posts:

Provided that—

(i) the number of cadres posts for the year in no case be less than the number of officers confirmed against such posts;

(ii) where as a result of the application of clause (i) of the proviso, the number of senior cadre posts becomes larger than the number worked out, the excess number shall be reduced as and when confirmed officers retire, or leave the Service otherwise;

(iii) the number of ex-cadre senior posts corresponding to the excess number, if any arrived at under clause (i), shall be reduced.

Explanation.—The Government shall not appoint officers against ex-cadre posts except to the extent that divisional or higher posts exist at any given time;

(d) of the senior posts thus determined, the number of cadre posts of Superintending Engineers and above shall be determined from time to time by the Government in consultation with the Finance Department. All other senior cadres posts shall be in the rank of Executive Engineer:

Provided that there may be ex-cadre posts of Executive Engineer or of higher ranks depending upon the actual requirements of the Department.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present service conditions and fixation of seniority in the Engineering services in PWD B&R, Public Health and PWD Irrigation Branch are being regulated through Haryana Act No. 20 of 1995.

Earlier a joint seniority list of HSE Class-II Engineers was finalized vide Govt. orders issued vide endst. No. 2/12/2007-41E dated 13-5-2008. Now, categorywise inter-se-seniority list of Civil, Mechanical, Electrical and Computer cadre is to be made. In accordance with the CWP No. 2013 of 2002 & other CWPs filed by Sh. Virender Kumar Gupta etc. in the Hon'ble High Court wherein they have contended that the seniority of Civil Engineers in civil cadre should be maintained separately from the Engineers of Mechanical cadre.

Irrigation Engineering Deptt. is predominantly a civil engineering organization and therefore, common seniority of Civil, Mechanical, Electrical and Computer cadres is not desireable. Moreover, the number of posts of Group A and B officers in Mechanical, Electrical and Computer cadre of the deptt. is very small as compared to the number of officers in civil cadre. Therefore, it is desirable that separate seniority of Civil, Mechanical, Electrical and Computer cadres is maintained by repealing the Haryana Services of Engineers, Class-I PWD (Irrigation Branch), (B&R Branch) and (Public Health Branch) respectively Act, 1995 (Haryana Act No.20 of 1995) in so far as its applicability to the Irrigation Department is concerned and by enacting a new legislation of Haryana Service of Engineers, Group-A, Irrigation Engineering Department Act, 2010 in its place.

The proposed Bill now seeks to replace the Act No. 20 of 1995 in so far as its applicability to the Irrigation Engineering Department.

CAPT. AJAY SINGH YADAV,
Irrigation Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of clauses (1) and (3) of article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly, the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh : SUMIT KUMAR,
The 4th September, 2010. Secretary

FINANCIAL MEMORANDUM

There shall be no additional financial implication on account of the enactment of the proposed legislation at present.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 22 of the proposed Bill empowers the State Government to frame rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 27-एच० एल० ए०

हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, सिंचाई विभाग विधेयक, 2010

हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, सिंचाई विभाग में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, सिंचाई विभाग अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) यह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन को लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) यह उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सेवा के सदस्य हैं किंतु वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से पहले नियुक्त किये गये थे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सेवा में नियुक्ति" से अभिप्राय है, सेवा में संवर्ग पद पर की गई नियुक्ति तथा इसमें शामिल है इस अधिनियम के निबन्धनों तथा उपबन्धों के अनुसार सेवा में किसी संवर्ग पद की किसी स्थानापन्न रिक्ति पर की गई कोई नियुक्ति;

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न परिशिष्ट ;

(ग) "संवर्ग" पद से अभिप्राय है, सेवा में कोई स्थायी पद ;

(घ) "मुख्य अभियंता" से अभिप्राय है, विभाग का मुख्य अभियंता तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद ;

(ङ) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण ;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा अधिकारी अथवा प्राधिकारी, जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करे ;

(छ) "विभाग" से अभिप्राय है, सिंचाई विभाग ;

(ज) "प्रमुख अभियंता" से अभिप्राय है, विभाग का प्रमुख अभियंता और इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद ;

(झ) "संवर्ग बाह्य पद" से अभिप्राय है, अस्थाई पद जो सेवा में शामिल नहीं है, जिस पर नियुक्ति के लिए ज्येष्ठता कोई अधिकार प्रदान नहीं करती ;

(ञ) "कार्यकारी अभियंता" से अभिप्राय है, किसी मंडल का कोई कार्यभारी अधिकारी और इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद ;

(ट) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ठ) "ग्रप ख सेवा" से अभिप्राय है, सिंचाई विभाग में, हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप ख;

(ड) "सेवा का सदस्य" से अभिप्राय है, किसी संवर्ग पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया अधिकारी तथा इसमें शामिल है,—

(i) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में, परिवीक्षा पर कोई अधिकारी अथवा कोई ऐसा अधिकारी जो, अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर, किसी संवर्ग पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो;

(ii) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, परिवीक्षा पर कोई अधिकारी अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो, अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर किसी संवर्ग पद पर, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, परन्तु ऐसा अधिकारी किसी सरकारी विभाग में किसी अधिष्ठायी पद पर धारणाधिकार न रखता हो।

व्याख्या.— यह आवश्यक नहीं है कि सेवा का कोई सदस्य किसी दिए गए समय पर किसी संवर्ग पद पर साधारणतया कार्य कर रहा होगा। वह प्रशासकीय सुविधा के कारण किसी संवर्ग बाह्य पद पर कार्यरत हो सकता है अथवा जब किसी संवर्ग बाह्य पद पर स्थानापन्न है उसे किसी संवर्ग पद के कर्तव्यों का पालन करता हुआ समझा जाएगा ;

(ढ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ण) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, सिंचाई विभाग जिसमें सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल के अलग-अलग संवर्ग समाविष्ट हैं ;

(त) "अधीक्षण अभियंता" से अभिप्राय है, किसी परिमंडल का कोई कार्यभारी अधिकारी तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद ;

(थ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ;

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधियां अथवा उपाधि-पत्रों (डिप्लोमा) की दशा में पंजाब, सिन्ध अथवा ढाका विश्वविद्यालय ; तथा

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त घोषित किया गया हो अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय हो;

संवर्ग तथा इसकी संख्या।

3. (1) सेवा के अलग-अलग संवर्ग अर्थात् सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल के विभिन्न पद जो प्रति वर्ष जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पश्चात् यथाशीघ्र जो परिशिष्ट क के उपबंधों के अनुसार व्यवहार्य हो प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से निर्धारित किये जाएं, समाविष्ट होंगे। इस प्रकार निर्धारित की गई अपने-अपने संवर्ग की संख्या तब तक लागू रहेगी जब तक इसे सरकार द्वारा पुनरीक्षित न कर दिया जाए।

(2) सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति अथवा नियुक्ति केवल उनके संवर्ग में अपने-अपने पद पर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार सेवा के किसी सदस्य को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सेवा में सम्मिलित न किये गये किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त कर सकती है, परन्तु ऐसा पद स्वीकृत किया गया है।

उम्मीदवारो की राष्ट्रिकता तथा अधिवास।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) सिक्किम की प्रजा ; या

(ग) नेपाल की प्रजा; या

(घ) भूटान की प्रजा; या

(ङ) तिब्बत का शरणार्थी जो जनवरी, 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(च) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ग), (घ), (ङ) अथवा (च) से संबंधित कोई उम्मीदवार, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा यदि वह प्रवर्ग (च) से संबंधित है, पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे किसी उम्मीदवार को उसकी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अध्यधीन सेवा में रखा जाएगा।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दशा में पात्रता का कोई प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसके प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि उसने प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र दिये जाने के अधीन रहते हुए, अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

सेवा मे भर्ती।

5. (1) अपने-अपने संवर्ग में सेवा में भर्ती, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक ढंगों द्वारा की जा सकती है ,—

(क) अपने-अपने संवर्ग की ग्रुप ख सेवा में से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा।

(2) व्यक्ति जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन को सेवा के सदस्य थे की दशा में, यह माना जाएगा कि ग्रुप ख सेवा से कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत सदस्य उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार है तथा भविष्य में पदोन्नति इस धारणा पर आधारित होगी।

अर्हताएं।

6. कोई भी व्यक्ति राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि को या उसके बाद सेवा में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक वह,—

(क) किसी विश्वविद्यालय से नियमित पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में उपाधि नहीं रखता हो; या अभियन्ता (भारत) की संस्था की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा की उपाधि नहीं रखता हो; तथा

(ख) उपमण्डल अधिकारी (ग्रुप ख सेवा) के रूप में आठ वर्ष की सेवा न की हो तथा ग्रुप ख सेवा की विभागीय परीक्षा पास न की हो :

परन्तु सरकार किसी अधिकारी, जिसने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, की दशा में आठ वर्ष की सेवा की शर्त में ढील दे सकती है;

(ग) एक से अधिक जीवित पत्नी रखता है या, किसी महिला की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है :

परन्तु यदि, सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, तो किसी व्यक्ति को इस शर्त के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति।

7. (1) सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर, तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए अलग से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए ऐसे सदस्यों जो सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं को मिला कर समिति गठित की जाएगी। ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(2) समिति सामान्यतया एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों पर बैठक करेगी तथा उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन की सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सभी पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी।

(3) इस सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए अलग से ग्रुप ख सेवा में परस्पर ज्येष्ठता के अनुसार व्यवस्थित किये जाएंगे।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यदि, सूची तैयार करने या इसके पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी पात्र उम्मीदवार का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया गया है, तो समिति ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करेगी तथा प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी।

(6) उपधारा (1), (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई या पुनरीक्षित की गई सूची सरकार द्वारा निम्नलिखित सहित आयोग को अग्रेषित की जाएगी—

(i) सूची में सम्मिलित सभी अधिकारियों के अभिलेख ;

(ii) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिक्रमित किए जाने वाले प्रस्तावित सभी अधिकारियों के अभिलेख ;

(iii) किसी अधिकारी के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए समिति द्वारा अभिलिखित कारण, यदि कोई हों; और

(iv) समिति की सिफारिशों पर सरकार के टीका-टिप्पणी, यदि कोई हो।

(7) आयोग सरकार से प्राप्त अन्य दस्तावेजों सहित समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और, जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(8) यदि आयोग सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो यह प्रस्तावित परिवर्तन सरकार को सूचित करेगा तथा सरकार की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को ध्यान में रखने के पश्चात्, ऐसे उपांतरण, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित है, सहित सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकता है।

(9) इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची से सेवा में अथवा संवर्ग में किसी पद पर स्थानापन्न हैसियत में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती है।

(10) उपधारा (9) के अधीन पदोन्नति करने से पूर्व सामान्यतः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक सूची में अधिकारी का नाम समाविष्ट करने तथा प्रस्तावित पदोन्नति की तिथि के बीच पड़ने वाली अवधि के दौरान अधिकारी के कार्य में कोई ह्रास नहीं आ जाता जो सरकार की राय में ऐसा है जो उसे सेवा में पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

8. (1) उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने-अपने संवर्ग के सेवा के सदस्य अपने-अपने संवर्ग के भीतर किसी भी पद के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के लिए अपेक्षित उपाधि के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे : पदोन्नति द्वारा नियुक्ति।

परन्तु ग्रुप ख सेवा का कोई सदस्य जो विश्वविद्यालय की कोई भी उपाधि या धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य अर्हताएं नहीं रखता है, तो कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेता :

परन्तु यह और कि प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल सिविल संवर्ग के सदस्यों में से की जाएगी :

परन्तु यह और कि मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग की दशा में, सात वर्ष का अनुभव रखने वाले कार्यकारी अभियंता को कार्यकारी अभियंता के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वैयक्तिक रूप में अधीक्षण अभियंता के पद का वेतनमान दिया जा सकता है यदि कार्यकारी अभियंता के रूप में समकक्ष सेवाकाल रखने वाला सिविल संवर्ग का कार्यकारी अभियंता अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया हो :

परन्तु यह और कि मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग की दशा में, तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले अधीक्षण अभियंता को अधीक्षण अभियंता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वैयक्तिक रूप में मुख्य अभियंता के पद का वेतनमान दिया जा सकता है यदि अधीक्षण अभियंता के रूप में समकक्ष सेवाकाल रखने वाला सिविल संवर्ग का अधीक्षण अभियता मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया हो।

व्याख्या.— एक बार कोई अधिकारी सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो एक पद से दूसरे पद पर सेवा में उसकी पदोन्नति उसी संवर्ग में से पदोन्नति के रूप में समझी जाएगी।

(2) पदोन्नति सभी प्रकार से ज्येष्ठता-सह-योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी तथा सेवा के किसी सदस्य का ऐसी पदोन्नति पर अधिकार स्वरूप अथवा केवल ज्येष्ठता के रूप में कोई दावा नहीं होगा।

(3) सेवा का कोई सदस्य निम्नलिखित पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा-—

(क) अधीक्षण अभियन्ता, जब तक उसने कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा न कर ली हो;

(ख) मुख्य अभियन्ता, जब तक उसने अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा न कर ली हो;

(ग) प्रमुख अभियन्ता, जब तक उसने मुख्य अभियन्ता के रूप में दो वर्ष की सेवा न कर ली हो :

परन्तु यदि, लोकहित में, किसी अधिकारी जिसने सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो, को पदोन्नत करना आवश्यक प्रतीत हो, तो सरकार, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, या तो सामान्य रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या किसी व्यक्तिगत मामले में खंड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि ऐसी सीमा तक कम कर सकती है जो वह उचित समझे।

स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति।

9. सरकार, विशेष परिस्थितियों में, आयोग के अनुमोदन से, सेवा के किसी अधिकारी को स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त कर सकती है।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) सेवा में नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि इस धारा के अधीन नियत की गई परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले, कार्यकारी अभियन्ता अथवा ऊपर के पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, सरकार के विवेक पर, इस धारा के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिने जाने के लिये अनुज्ञात की जा सकती है ; तथा

(ग) सेवा में कोई स्थानापन्न नियुक्ति परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु सेवा का कोई सदस्य जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर, जब तक वह संवर्ग पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि सरकार की राय में, सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी का कार्य या आचरण, परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है; अथवा

(ख) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकती है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; अथवा

(ग) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकती है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकती थी:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि विस्तार सहित, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, सरकार, यदि उसकी राय में उसका कार्य अथवा आचरण संतोषजनक रहा हो, तो-

(क) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पुष्ट कर सकती है ; अथवा

(ख) यदि उसके लिए कोई संवर्ग पद रिक्त नहीं है, तो घोषित कर सकती है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

11. (1) सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित की जायेगी। ज्येष्ठता।

(2) ग्रुप ख सेवा से पदोन्नत कार्यकारी अभियन्ता, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियन्ता से ज्येष्ठ होगा।

(3) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियन्ताओं की दशा मे, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार ; और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

(4) जहां सेवा का कोई सदस्य, ऐसे कारण के लिये, जिसे सरकार पर्याप्त समझती है, कार्यभार संभालने में असमर्थ है अथवा सरकार के अनुमोदन से सेवा में बाहरी प्रतिनियुक्ति पर रहता है, ऐसी सेवा के लिए उसको लाभ अनुज्ञात करना सरकार के विवेक पर होगा मानो यह उसकी ज्येष्ठता नियत करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन की गई सेवा थी।

व्याख्या.—किसी सदस्य का सेवा में प्रवेश करने तथा इस अधिनियम के अधीन नियत की गई अपनी ज्येष्ठता को प्राप्त करने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सभी नियोजन में गिने जायेंगे मानो यह सेवा में नियोजन था और पहले ही नियत की गई ज्येष्ठता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा तक ऐसी ज्येष्ठता किसी दशा में प्रभावित होती है, यदि सेवा का सदस्य विभाग में कार्य करता रहता।

वेतन।

12. सेवा के सदस्य विशेष वेतन सहित ऐसे वेतनमान के हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

छुट्टी पेंशन तथा अन्य मामले।

13. छुट्टी, पेंशन तथा उसी प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, निबंधन तथा शर्तें जिनका इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

टीका लगवाना।

14. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

अनुशासन, शास्ति तथा अपील।

15. अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमो द्वारा शासित होंगे, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जायें।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले से भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

सेवा करने का दायित्व।

17. (1) सेवा का सदस्य, हरियाणा राज्य के भीतर या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सरकार के अधीन सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड या केन्द्रीय जल आयोग या कोई अन्य बोर्ड या निगम, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ii) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो पूर्णत: या अधिकांशत: सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित है, हरियाणा राज्य के भीतर कोई नगर निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण;

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो पूर्णत: या अधिकांशत: केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित है ; या

(iv) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा कोई निजी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पर व्यतीत की गई अवधि सहित, कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिये भारत की किसी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति -

(क) सेवा में नियुक्ति की तिथि से दस वर्ष की समाप्ति के बाद यथा पूर्वोक्त सेवा करने के लिये अपेक्षित नहीं होगा ; और

(ख) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद यथा पूर्वोक्त सेवा करने के लिये सामान्यत: अपेक्षित नहीं होगा।

पदच्युति के आधारों का प्रकाशन।

18. यदि सेवा का कोई सदस्य किसी विभागीय जांच अथवा लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का अधिनियम 37) के अधीन किसी जांच अथवा किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदच्युत किया गया है, तो सरकार ऐसी पदच्युति के लिये कारणों को राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है, यदि उसकी राय है कि ऐसा प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

साधारण।

19. उन सभी मामलों में, जिनके लिये इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे साधारण अथवा विशेष नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए हों अथवा इसके बाद बनाए जाएं।

ढील देने की शक्ति।

20. जहां सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किन्हीं का प्रवर्तन किसी विशेष मामले में अनुचित बाधा उत्पन्न करता है, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन उस उपबंध की अपेक्षाओं को हटा सकती है या ढील दे सकती है, जो वह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के निपटान के लिये आवश्यक समझे।

आरक्षण।

21. इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात, सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अशक्त व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

निरसन तथा व्यावृति।

23. हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी 1, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़कें शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का 20), जो सिंचाई शाखा, अब सिंचाई विभाग को लागू है, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन- -

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अधिरोपित किसी शास्ति अथवा दंड को प्रभावित नहीं करेगा :

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रारंभ की गई अथवा लम्बित रखी गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई अथवा कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन सेवा के किसी सदस्य की अर्हताओं में दी गई किसी ढील को प्रभावित नहीं करेगा;

(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को प्रभावित नहीं करेगा जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली तथा राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो ;

(ङ) पहले से भर्ती किए गए व्यक्तियों तथा उनकी जिनकी भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रारंभ की गई है अर्हताओं को प्रभावित नहीं करेगा;

(च) पहले से पदोन्नत अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा,

तथा पंजाब अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 उन व्यक्तियों के लिए जो नवम्बर, 1966, के प्रथम दिन से पूर्व सेवा के सदस्य थे उसी प्रकार लागू रहेंगे मानो वे निरसित नहीं किए गए थे।

परिशिष्ट क

[देखिए धारा 3 (1)]

सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए सेवा की संवर्ग संख्या निम्नलिखित रीति में प्रत्येक वर्ष अलग से निर्धारित की जाएगी :—

पदों की संख्या निम्न प्रकार से संगणित की जाएगी :—

(क) पहले—

(1) स्थाई पद [तीन वर्ष तथा ऊपरी पद, अर्थात् वे पद जो जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व लगातार तीन वर्ष या अधिक के लिए विद्यमान रहे हैं] जोड़ें ;

(2) अप्रयोगमूलक पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :—

(i) ऐसे प्रगणित पद जो जनवरी के प्रथम दिन से पूर्ववर्ती, पिछले तीन वर्ष के दौरान विद्यमान रहे हैं, मासों की संख्या जिनके लिए वे विद्यमान थे का विवरण ; 15 दिन अथवा अधिक की सभी अवधियों को पूर्ण मास के रूप में गणना करें ;

(ii) उपरोक्त (i) में परिकलित मासों की कुल संख्या जोड़ें ;

(iii) सम्मिलित किए जाने वाले अप्रयोगमूलक पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए निकटतम पूरी संख्या को 36 द्वारा (ii) को विभाजित करें ;

(3) प्रतिनियुक्ति पद [ये जनवरी के प्रथम दिन को प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या के बराबर होंगे, चाहे राज्य में हों अथवा बाहर] :

(ख) मद (1), (2) तथा (3) के जोड़ को ("एक्स" कहा जाए), आगे "एक्स" का साढ़े सात प्रतिशत छुट्टी आरक्षित पद के रूप में जोड़ें (इस प्रकार से प्राप्त हुए जोड़ को "वाई" कहा जाए);

(ग) संवर्ग संख्या, प्रश्नगत वर्ष के लिए, "वाई" में से निकटतम पूरी संख्या के संगणित "वाई" का पन्द्रह प्रतिशत घटाकर होगी। उपरोक्त यथा संगणित संवर्ग पदों को घटाकर "वाई" का अतिशेष संवर्ग बाह्य पदों का प्रतिनिधित्व करेगा :

परन्तु—

(i) वर्ष के लिए संवर्ग पदों की संख्या किसी भी दशा में ऐसे पदों के विरुद्ध पुष्ट किए गए अधिकारियों की संख्या से कम नहीं होगी ;

(ii) जहां परन्तुक के खण्ड (i) के लागू होने के परिणामस्वरूप, वरिष्ठ संवर्ग पदों की संख्या निकाली गई संख्या से अधिक हो जाती है, तो अधिक संख्या जब कभी

पुष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त होता है, या अन्यथा सेवा छोड़ देता है, घटा दी जाएगी ;

(iii) खण्ड (i) के अधीन प्राप्त अधिक संख्या, यदि कोई हो, अनुरूप संवर्ग बाह्य वरिष्ठ पदों की संख्या से घटा दी जाएगी ;

व्याख्या.— सरकार उस सीमा के सिवाय कि मण्डलीय अथवा उच्चतर पद, किसी दिए हुए समय में विद्यमान हैं, संवर्ग बाह्य पदों के विरुद्ध अधिकारियों को नियुक्त नहीं करेगी :

(घ) इस प्रकार निर्धारित वरिष्ठ पदों को, अधीक्षण अभियन्ता तथा ऊपर के संवर्ग पदों की संख्या को, वित्त विभाग के परामर्श से, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। सभी अन्य वरिष्ठ संवर्ग पद कार्यकारी अभियन्ता की पदवी के होंगे :

परन्तु विभाग की वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए, कार्यकारी अभियन्ता या उच्चतर पदवी के संवर्ग बाह्य पद हो सकते हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क, जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभाग सिंचाई शाखा में अभियान्त्रिकी सेवाओं की सेवा शर्तें तथा वरिष्ठता निर्धारण 1995 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20 द्वारा विनियमित की जा रही है।

पूर्व में हरियाणा अभियंता सेवा ग्रुप-II अभियंता की संयुक्त वरिष्ठता सूची सरकार द्वारा जारी आदेश पृष्ठांकन संख्या 2/12/2007-4 आई०ई०, दिनांक 13.5.2008 द्वारा निर्णीत की गई थी। अब, सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर संवर्ग की प्रवर्ग क्रम में परस्पर परस्पर वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता इत्यादि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 2013 ऑव 2002 तथा अन्य सिविल रिट याचिकाओं के अनुसार जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि सिविल संवर्ग में सिविल अभियन्ताओं की वरिष्ठता मैकेनिकल संवर्ग के अभियन्ताओं से अलग-अलग से बनाई जानी चाहिए।

सिंचाई विभाग प्रमुख रूप से सिविल अभियांत्रिकी संगठन है तथा इसलिए, सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर संवर्ग की सामूहिक वरिष्ठता वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, सिविल संवर्ग अधिकारियों की तुलना में विभाग के मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर संवर्ग में ग्रुप क तथा ख अधिकारियों के पदों की संख्या बहुत कम है। इसलिए, यह वांछनीय है कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़क शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20), को जहां तक इसका सिंचाई अभियांत्रिकी विभाग को लागू होने का सम्बन्ध है को निरसित करते हुए तथा उसके स्थान पर हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, सिंचाई विभाग अधिनियम, 2010 का नया विधान अधिनियमित करते हुए सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर संवर्गों की वरिष्ठता सूची अलग-अलग बनाई जाती है।

अतः प्रस्तावित विधेयक, 1995 का अधिनियम संख्या 20, जहां तक यह सिंचाई अभियांत्रिकी विभाग को लागू है, का स्थान लेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव,
सिंचाई मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से विधेयक को प्रस्तुत करने तथा विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
4 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

वर्तमान मे प्रस्तावित विधि निर्माण अधिनियमित के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा नहीं होगी।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 22 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। कार्यकारी को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन संलग्न है।

47646—H.V.S.—H.G.P., Chd.